

संदर्भ सं.राबैं.डॉर/ 2112/ एसीएबीसी-4/ 2015-16 परिपत्र सं. 210 / डॉर - 60 / 2015 28 सितंबर 2015 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/ राज्य सहकारी बैंक अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक प्रिय महोदय एग्रि क्लिनिक और एग्रि बिजनेस सेंटर्स (एसीएबीसी) - दिनांक 26.8.2015 को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं बैंकर्स समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय एग्रि क्लिनिक और एग्रि बिजनेस सेंटर्स (एसीएबीसी) योजना पर 11वीं बैंकर्स समीक्षा बैठक श्री राघवेन्द्र सिंह, अतिरिक्त सचिव, कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है. 2. आपको ज्ञात ही है कि भारत सरकार इस योजना को प्राथमिकता दे रही है. अपर्याप्त ऋण लिंकेजों की पृष्ठभूमि में बैठक में बहुत से निर्णय लिए गए ताकि अधिक से अधिक पात्र उम्मीदवारों को इस ओर आकर्षित किया जा सके. मोटे तौर पर देखा जाए तो इन निर्णयों का अभिप्राय सही प्रौद्योगिकी अपनाकर कृषि उत्पादन बढ़ाना है और इस प्रकार किसानों द्वारा	Ref. No.NB.DoR/2112/ACABC-4/2015-16 Circular No.210/DoR- 60 /2015 28 September 2015 The Chairman / Managing Director All Scheduled Commercial Banks All RRBs / SCARDBs / SCBs/ Scheduled Urban Co-op Banks Dear Sir Agriclinics and Agribusiness Centres (ACABC) - decisions of the 11th Bankers Review Meeting dated 26.8.15, New Delhi The 11th Bankers' Review Meeting on Agri-Clinics & Agri- Business Centres (ACABC) Scheme was held on 26.8.2015 under the chairmanship of Sh. Raghvendra Singh, Additional Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of India. A copy of the approved minutes of the meeting is enclosed for your kind information and necessary action. 2. You may appreciate that the GoI is according due priority to the scheme. A number of decisions, in the background of poor credit linkage, has been taken in the meeting with the objective of attracting more and more eligible candidates. Broadly, these decisions are intended to boost agricultural production through adoption of technology and thus better farming practices by farmers as also to provide self-employment opportunities. 3. In the above background we request you as under.
--	---

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

D:\PRABHU-GSS\4.ACABC\Meetings\11th Review - 25.8.15\3-Minutes-Action point circular.docx

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 • टेलि. : +91 22 2653 9325 • फैक्स : +91 22 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel. : +91 22 2653 9325 • Fax : +91 22 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org

बेहतर कृषि व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें स्वनियोजन के अवसर प्राप्त होंगे.

3. उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे निम्नानुसार अनुरोध है कि

(i) आप अपनी शाखाओं को सूचित करें कि वे "एक शाखा एक एग्रि क्लिनिक" की संकल्पना को अपनाएं. जहां तक संभाव्य ऋण सहायता के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों की पहचान करने की बात है, जैसा कि एसीएबीसी योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिया गया है, बैंक की शाखाएं अपने क्षेत्र में नोबल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स (एनटीआई) <http://www.agriclinics.net/nticontact.asp>) से संपर्क कर सकती हैं.

(ii) योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं के लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्रातिशीघ्र निपटान किया जाए ताकि बैंक शाखाओं के स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों को कम किया जा सके. यदि परियोजना रिपोर्ट में कुछ कमी है तो उसे संबंधित एनटीआई की नोटिस में लाया जाए ताकि उसे दूर किया जा सके.

(iii) आपके बैंक के प्रत्येक नियंत्रक कार्यालय से एक नोडल अधिकारी की पहचान की जाए और उनका नाम/ संपर्क से संबंधित विवरण नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और मैनेज (नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एग्रिकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद, तेलंगाना-5000030, फोन 040-24016702) को उपलब्ध करा दिया जाए.

भवदीय



(एस के बंसल)
मुख्य महाप्रबंधक

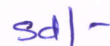
संलग्न: यथोक्त

(i) Your branches may specifically be advised to adopt "One Branch one Agrclinic" concept. As regards identifying trained candidates for possible credit support as envisaged under ACABC Scheme guidelines, bank branches may consider to contact the Nodal training Institutes (NTIs) (<http://www.agriclinics.net/nti-contact.asp>) in their region.

(ii) Expeditiously clear the pending applications from prospective borrowers under the scheme so that pendency at the level of bank branches is reduced. Inadequacies, if any in the project report may also be brought to the notice of the concerned NTIs for making the same good.

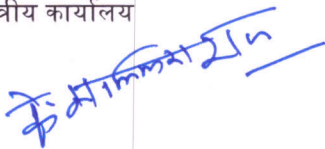
(iii) One nodal officer at each of the controlling offices of your bank may be identified and the name/contact details may be provided to the respective RO of NABARD as also MANAGE (National Institute of Agricultural Extension Management, Rajendranagar, Hyderabad, Telangana 500030, Phone: 040 2401 6702).

Yours faithfully



(S K Bansal)
Chief General Manager

Encl. As above

उक्त दिनांक का पृष्ठांकन सं. राबैं.डॉर/2112 A/ एसीएबीसी-4/ 2015-16 परिपत्र की प्रति सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित: फैक्स: 011-23384551 1. डॉ आर के त्रिपाठी, निदेशक (ईएम), कमरा नंबर 527-ए, कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110011. फैक्स: 040-24015388 2. श्रीमती वी उषा रानी, आईएएस, महानिदेशक, नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एग्रिकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद, तेलंगाना-5000030 3. मुख्य महाप्रबंधक/ प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड, सभी क्षेत्रीय कार्यालय  (के मल्लिगराज) महाप्रबंधक	Endt. No.NB.DoR/2112 A/ACABC-4/2015-16, of date Copy forwarded for information to: Fax : 011-23384551 1. Dr. R K Tripathy, Director (EM), Room No.527-A, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare, Ministry of Agriculture, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi - 110011. Fax : 040-24015388 2. Smt. V Usha Rani, IAS, Director General, National Institute of Agricultural Extension Management, Rajendra Nagar, Hyderabad - 500030. 3. CGM/OIC, NABARD, All ROs.  (K Malligaraaj) General Manager
--	--